स्वतंत्र निदेशक के कर्तव्यों का कम्पनी अधिनियम, 2013 के परिप्रेक्ष्य में एक संक्षिप्त अवलोकन

प्रभुनाथ

कम्पनी अधिनियम, 1956 में निदेशकों के कर्तव्यों के बारे में कोई प्रावधान संदर्भित नही किया गया था बल्कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 312 में संदर्भित था कि निदेशक द्वारा निषिद्ध पदीय नियत कार्यो को छोड़कर सभी कार्यो को किया जा सकता है। यह उपबन्ध सभी कम्पनियों पर लागू था। निदेशकों के कर्तव्यों के सन्दर्भ में सरकार को सलाह देने के लिए कम्पनी कार्य मंत्रालय के द्वारा जे0 जे0 ईरानी समीति का गठन किया गया। जिसकी सलाह पर कम्पनी विधेयक, 2011 लाया गया। जो संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कम्पनी संषोधन अधिनियम, 2011 के रुप में अस्तित्व में आ गया। जिसके माध्यम से निदेशकों के कर्तव्यों एंव उल्लंघन की दशा में दण्ड का प्रावधान समाहित किया गया। वर्तमान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 निदेशकों के कर्तव्यों एंव उल्लंघन की दशा में दण्ड का उपबन्ध करती है।